कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

विज्ञापन

पत्र क्रमांक/2397/स0क0/2018--19 अम्बिकापुर, दिनांक 11/01/2019

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक दिव्यांग हितग्राहियों के लिए संचालित कार्यक्रम **"घरौदा आश्रय गृह"** के संचालन हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं। फर्मो (शासकीय/अर्द्धशासकीय पंजीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं) से उप संचालक समाज कल्याण कार्यालय अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) के पते पर समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन दोपहर 03:00 बजे तक अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। इच्छूक संस्था/फर्म जिला–सरगुजा की अधिकारिक वेबसाईड www.surguja.gov.in पर उक्त **"रूचि की अभिव्यक्ति"** पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जानकारी देख सकते है या कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण में उपस्थित होकर आवेदन पत्र एवं शर्ते प्राप्त कर सकते है।

सहपत्रः—प्रेस विज्ञप्ति

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक/2398/स0क0/2018—19 अम्बिकापुर, दिनांक 11/01/2019

प्रतिलिपि –

1. संचालक समाज कल्याण विभाग संचलनालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला--सरगुजा को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—सरगुजा को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग जिला--सरगुजा को सूचनार्थ कर लेख है कि जिले के समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
5. N.I.C. प्रभारी सरगुजा, जिला कार्यालय को सूचनार्थ कर लेख है कि इसे जिले की वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

11.1.19

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

<u>संक्षिप्त प्रारूप</u>

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

पत्र क्रमांक / 3397 / स0क0 / 2018–19 अम्बिकापुर, दिनांक 11 / 01 / 2019

<u>रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)</u>

जिला सरगुजा, समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग हितग्राही महिला / पुरूष हितग्राहियों के लिए आजीवन आश्रय प्रदान करने हेतु संचालित कार्यक्रम **''घरौदा आश्रय गृह''** के संचालन किये जाने हेतु **''रूचि की अभिव्यक्ति'' EOI** की शर्ते प्रपत्र समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन दोपहर 03:00 बजे तक शासकीय / शासन से संबंधित निकायों में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले न्यूनतम 3 वर्षो के अनुभवी फर्म / संस्थाओं / फर्मो शासकीय / अर्द्धशासकीय / पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं (NGO's) से कार्यालयीन समय में निविदा शर्तो पर चयन किये जाने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन दोपहर 03:00 बजे तक नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

आवेदन एवं शर्तों की जानकारी हेतु जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in अथवा कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला सरगुजा छ0ग0 के सूचना पटल का अवलोकन कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

आवेदन की अंतिम तिथि समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 दिन दोपहर 03:00 बजे तक

पत्र क्रमांक / /स.क. /2018–19 अम्बिकापुर दिनांक /01/2019

जिला सरगुजा, समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग हितग्राहियों (महिला/पुरूष) के लिए आजीवन आश्रय प्रदान करने हेतु संचालित कार्यक्रम **"घरौदा आश्रय गृह"** के संचालन हेतु **"रूचि की अभिव्यक्ति"** EOI की शर्ते प्रपत्र समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन दोपहर 03:00 बजे तक शासकीय/शासन से संबंधित निकायों में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले न्यूनतम 3 वर्षो के अनुभवी फर्म/संस्थाओं (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं (NGO`s) से कार्यालयीन समय में निविदा शर्तो पर चयन किये जाने हेतु प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन दोपहर 03:00 बजे तक नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं

1. संस्था/फर्म के पास समाज कल्याण विभाग से जीवित विभागीय मान्यता होना अनिवार्य है।
2. संस्था/फर्म को शासकीय/शासन से संबंधित निकाओं/स्वैच्छिक रूप से दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उचित मानकों में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है।
3. आवेदक संस्था/फर्म को विगत 3 वर्षो का सी.ए. द्वारा ऑडिट रिर्पोट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चयन का मापदण्ड

1. समाज कल्याण विभाग से विभागीय मान्यता होना अनिवार्य होगा मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं /फर्म को ही चयन की पात्रता होगी।
2. शासकीय/शासन से मान्यता प्राप्त निजी निकायों/स्वैच्छिक रूप से दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का वाले संस्थाओं/फर्मो (शासकीय/अर्द्ध शासकीय/पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओ NGO`S) के पास न्यूनतम लगातार 3 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक संस्था/फर्म के पास दिव्यांग हितग्राहियों को मोबलाईजेशन हेतु कॉउंसलर होना आवश्यक है।
4. आवेदक संस्था/फर्म के पास कार्यक्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन व कुशल स्टॉफ (कार्यक्रम संचालन हेतु) होना आवश्यक होगा। निविदा आवेदन के साथ चयनित भवन का किराया नामा व कुशल स्टॉफ (अधीक्षक, डॉक्टर (MBBS), फिजियो थेरेपिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट, कॉउंसलर, नर्स, रसोईया, आया, चतुर्थ वर्ग, चौकीदार, स्वीपर) जो कि वांछित आर्हताऐं रखते हो कि सूची नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन, अंकसूची/डिग्री समस्त दस्तावेज सहित जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक संस्था/फर्म के पास संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता बिन्दु 4 में दर्शाए अनुसार होना जो कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो अनिवार्य है। योग्यता एंव आर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. आवेदक संस्था/फर्म को चयन होने की दशा में कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक अनुदान राशि प्राप्त करने के अनुदान का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा में जमा करना अनिवार्य होगा जो कि जिला कलेक्टर महोदय के अनुशंसा पश्चात् संचालक, समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को अनुदान स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। अनुदान राशि प्रदाय करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाता है। जिसमें जिले का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा व किसी प्रकार की राशि जिला द्वारा देय नहीं होगी।

7. **रूचि की अभिव्यक्ति "EOI"** समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन, दोपहर 04:00 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में चयन समिति के समक्ष खोली जायेगी एवं 21वें दिन ही आवेदनों का परीक्षण कर पात्र आवेदन की सूची तैयार की जाएगी एवं सूचीबद्ध आवेदन अनुसार आवेदक संस्था/फर्म को प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित तिथि को आमंत्रित किया जाएगा। सभी आवेदक उक्त तिथि को उपस्थित रह सकते है एवं अनुपस्थिति की स्थिति में पृथक से कोई कार्यवाही/सुनवाई नहीं की जावेगी। सभी पात्र आवेदक अपनी फर्म के कार्य प्रणाली/कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण समिति द्वारा निर्धारित तिथि को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

8. आवेदक संस्था/फर्म के समस्त दस्तावेज के तकनीकी परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदक को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण देना होगा, जिसमें प्राप्त अंक के आधार पर कार्यक्रम संचालन हेतु चयन किया जायेगा, प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंक 30 होगें निर्धारित अंक में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था को कार्य करने हेतु आदेशित किया जायेगा। यदि 21 वां दिन शासकीय अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर दोपहर 04:00 बजे निर्धारित स्थल पर निविदा खोली जायेगी।

सामान्य शर्तें एवं दायित्व

1. चयनित संस्था को उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा में कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. चयनित संस्था के पास समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली विभागीय मान्यता/विभागीय पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. आवेदक संस्था/फर्म को घरौंदा आश्रय गृह के समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, हितग्राहियों की उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई सुरक्षा, स्वास्थ एवं पेयजल की व्यवस्था का दायित्व होगा।
4. संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन में लापरवाही/अनियमितता बरती जा रही है तो उप संचालक समाज कल्याण विभाग, सरगुजा द्वारा विधिवत जांच करके SCN देकर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर महोदय से अनुशंसा प्राप्त कर संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़ को मान्यता समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा।
5. हितग्राहियों का मोबलाईजेशन कर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
6. कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग से तय किए गए उच्च गुणवत्तापूर्ण मानको के आधार पर किया जावेगा।

7. आवेदक संस्था/फर्म का संबंधित कार्यक्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। संबंधित शासकीय विभाग से उक्ताशय का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की जांच चयन समिति के द्वारा कराई जा सकती है।

संस्था के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

चयन समिति द्वारा जिन आवेदकों के दस्तावेज पूर्ण होंगे उन्हें प्रस्तुतीकरण हेतु पृथक से आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण का मतांकन चयन समिति द्वारा किया जायेगा जो कि अंतिम निर्णय होगा।

अनुदान राशि का भुगतान

कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान की राशि संचालक, समाज कल्याण संचालनालय रायपुर छ0ग0 द्वारा प्रदाय किया जायेगा जिसके लिए चयन पश्चात् अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा छत्तीसगढ़ में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुदान राशि छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुदान स्वीकृत किये जाने के पश्चात् ही देय होगा। कार्यक्रम के संचालन हेतु उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला सरगुजा किसी भी प्रकार की राशि प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदन का प्रारूप कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय, समाज कल्याण विभाग अथवा जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in से प्राप्त कर सकते है।
2. आवेदक संस्था/फर्म द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित समय में स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों का कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. आवदन लिफाफा के ऊपर **"घरौदा आश्रय गृह" संचालन हेतु आवेदन** एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित किया जावेगा।
5. आवेदन प्रपत्र बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि/निर्धारित समय तक कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) 497001 में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

11.1.19

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

आवेदन

"घरौदा आश्रय गृह" के संचालन किये जाने हेतु।

1. संस्था का नाम
   (पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फैक्स नंबर ईमेल सहित) :..
2. संस्था का नाम विभागीय पंजीयन क्रमांक :..
   (यदि संस्था समाज कल्याण विभाग से पंजीकृत है तो सभी की :..
   जानकारी संस्था प्रमुख के नाम पता, दूरभाष नंबर की जानकारी :..
   देवें) :..
3. संस्था की नियमावली :..
4. संस्था का कार्यक्षेत्र :जिला–सरगुजा / सम्पूर्ण छत्तीसगढ प्रदेश
5. संस्था किन–किन क्षेत्रों में कार्य किये :..
   जाने हेतु पंजीकृत है उल्लेखित करें। :..
6. द्विव्यांग हितग्राहीयों को मोबलाईजेशन की प्रक्रिया :..
   द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त :..
   सुविधाओं की जानकारी। :..
7. कार्यक्रम संचालन हेतु संस्था के पास भवन ....
   उपलब्ध है। यदि है तो विवरण दें। :..
8. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा :..
9. संस्था द्वारा हितग्राहीयों को दिए जाने वाली ....
   अतिरिक्त सुविधाओं की जानकारी :..
10. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत 3 वर्ष का) :..
11. संस्था का TIN/PAN(विगत 3 वर्षो का) :..
12. संबंधित कार्यक्षेत्र में विगत 3 वर्षो का अनुभव :..
    (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
13. अन्य विवरण :..
    :..

टीपः– आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

घोषण पत्र

एतद् द्वारा आवेदन संस्था/फर्म यह घोषणा करता/करती है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य एवं सही है। आवेदक संस्था/फर्म चयन की स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन करेंगा/करेंगी।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)